



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26797-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1112/1990

रघुनंदन और अन्य

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

जी.एस. चतुर्वेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

ए.जी.ए.

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I,

1. सूची दोहरायी गयी। अपीलकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की दिनांक 23.11.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 1 (रघुनंदन), अपीलकर्ता संख्या 2 (श्रीमती शांति देवी), अपीलकर्ता संख्या 3 (शंभू सोनकर उर्फ शंभू नाथ) और अपीलकर्ता संख्या 4 (उमा नाथ) का निधन हो चुका है।
3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए, अपीलकर्ता संख्या 1, अपीलकर्ता संख्या 2, अपीलकर्ता संख्या 3 और अपीलकर्ता संख्या 4 के संबंध में यह आपराधिक अपील, उनके मृत्यु के कारण उपशमित मानते हुए, खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

एस. सिंह

(देवेंद्र सिंह-I, न्यायमूर्ति) (चंद्र धारी सिंह, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”